

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 13, 2015/आश्विन 21, 1937

No. 267]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2015/ASVINA 21, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2015

सं.यू-23013/14/2014- एल.डब्ल्यू.—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या यू-23013/14/2014-एल.डब्ल्यू. दिनांक 10 जुलाई, 2014 का अधिक्रमण करते हुए एवं ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा डीएमआरसी, मैट्रो भवन, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली और इसके ठेकेदार मैसर्स वेदी एंड वेदी एसोसिएट्स, एफ-34, देशबंधु गुप्ता मार्केट, करोल बाग, नई दिल्ली के प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है।

2. समिति का संघटन तथा उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:-

(i) श्री राखल दास गुप्ता, महासचिव,

नार्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे मजदूर संघ,

—सदस्य

पांडु, गुवाहाटी-781013

(ii) श्रीमती रागिनी येचुरी, कार्यकारी निदेशक

—सदस्य

(औद्योगिक संबंध), रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड),

नई दिल्ली-110001

- (iii) उप-मुख्य श्रमायुक्त (के.), जीवनदीप बिल्डिंग,
नई दिल्ली। —सदस्य-संयोजक

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:

" डीएमआरसी, मेट्रो भवन, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली और इसके ठेकेदार मैसर्स बेदी एंड बेदी एसोसिएट्स, एफ-34, देशबंधु गुप्ता मार्केट, करोल बाग, नई दिल्ली के प्रतिष्ठान टॉम ऑपरेटर्स के जॉबों/कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यकरण का अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं करना कि उक्त जॉबों/कार्यों में ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिष्ठानों के कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं।"

4. समिति का मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा। समिति पक्षकारों की सुनवाई दोबारा करेगी, दोबारा प्रस्तुतियों की अनुमति प्रदान करेगी, यदि कोई हों और अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी।

ए.के.सिंह, सचिव, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD)

RESOLUTION

New Delhi, the 13th October, 2015

No.U-23013/14/2014-LW.— In supersession of this Ministry's Resolution No. U-23013/14/2014-LW dated 10th July, 2014 and in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the establishment of the D.M.R.C., Metro Bhawan, Bara Khamba Road, New Delhi and its contractor M/s. Bedi & Bedi Associates, F-34, Desh Bandhu Gupta Market, Karol Bagh, New Delhi.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under: —

- | | | |
|-------|--|------------------|
| (i) | Shri Rakhal Das Gupta, General Secretary,
Northeast Frontier Railway Mazdoor Union,
Pandu, Guwahati-781012 | — Member |
| (ii) | Smt. Ragini Yechury, Executive Director,
(Industrial Relations), Ministry of Railway(Railway Board)
New Delhi-110001 | —Member |
| (iii) | Dy.CLC(Central), Jeevan Deep Building,
New Delhi- | —Member Convenor |

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows: —

"To study the working of contract labour system in the jobs/works of Tom Operators in the establishment of D.M.R.C., Metro Bhawan, Bara Khamba Road, New Delhi and its contractor M/s. Bedi & Bedi Associates, F-34, Desh Bandhu Gupta Market, Karol Bagh, New Delhi and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the said establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970".

4. The Headquarters of the Committee will be at Chandigarh. The Committee shall hear the parties afresh, allow submissions, if any and submit its report within three months.

A.K.SINGH, Secy., Central Advisory Contract Labour Board